राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं (राज.)

क्रमांकः एफ.16(6)(3)न्याय/2008/977 दिनांकः– 03-05-2020

:: आदेश ::

(अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कोरोना वायरस (कोविड–19) संक्रमण को Pandemic घोषित किया हुआ है। कोरोना वायरस संक्रमण के श्रृंखलाबद्व फैलाव के मध्येनजर सम्पूर्ण जिले में लॉकडाउन के दौरान सम्पूर्ण जिले में इस कार्यालय के आदेश कमांक 628 दिनांक 18.03.2020 के द्वारा दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 144 लागू की गई थी। उक्त आदेश की अवधि इस कार्यालय के आदेश कमांक 729 दिनांक 31.03.2020 एवं 830 दिनांक 15.04.2020 के द्वारा दिनांक 03.05.2020 तक बढाई गई थी।

भारत सरकार के आदेश दिनांक 01.05.2020 एवं राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप–9) विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक प.33(2)गृह–9/2019 जयपुर दिनांक 02.05.2020 से नवीन मोडिफाइड लॉकडाउन की अवधि 04 मई से 17 मई, 2020 तक लॉकडाउन बढाया गया हैं। वर्तमान में नोवल कोरोना वायरस (कोविड–19) के संक्रमण फैलने की संभावनाओं के मध्यनजर मानव जीवन को खतरे, स्वास्थ्य एवं इसके कारण लोक शांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है।

उक्त परिस्थितियों से मेरा समाधान हो गया है एवं मैं सन्तुष्ट हूं कि ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया झुन्झुनूं जिले की राजस्व सीमा में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की जावें।

अतः मैं उमरदीन खान, (I.A.S.) जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं दण्ड प्रक्रियां संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झुंझुनूं जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर आदेश देता हूँ कि :–

1. सार्वजनिक स्थानों पर 05 या 05 से अधिक व्यक्तिों पर आवागमन या एकत्रित होने पर प्रतिबन्ध रहेगा (शादी एवं अन्तिम संस्कार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुमति में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त)।
2. सायं 07:00 बजे से प्रातः 07:00 बजे तक सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए व्यक्तियों के आवागमन पर सख्त प्रतिबन्ध रहेगा। यह प्रतिबन्ध आपात स्थिति या आवश्यक मांग होने पर जिला प्रशासन या नजदीकी पुलिस स्टेशन से पास प्राप्त किया जायेगा। यह ड्यूटी पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियों या चिकित्सकों/चिकित्सा और पैरा मेडीकल स्टाफ पर लागू नहीं होगा।
3. सभी कार्यस्थल (दुकानें/कार्यालय/कारखाना आदि) जब तक कि इस संबधं में जिला प्रशासन से विशिष्ट स्वीकृति प्राप्त नहीं कर ली गयी हो, सांय 06 बजे या इससे पूर्व बन्द कर दिये जायेगें ताकि इनका स्टाफ एवं अन्य व्यक्ति 07 बजे से पूर्व अपने घर पहुचं जायें।
4. कोरोना वायरस (कोविड–19) के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए जिला झुंझुनू की राजस्व सीमा में निवासरत नागरिकगण अपने निवास स्थान से अनावश्यक कारण के आवागमन नही करेंगे।
5. सभी सिनेमा हाल, मॉल, शॉपिगं मॉल, व्यायाम शालाऐं, स्पोर्टस कॉम्पलेक्स, स्वीमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थियटर्स, बार, ऑडिटोरियम एवं एसेम्बिली हॉल और समान प्रकृति के स्थान बन्द रहेंगे।
6. सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम तथा अन्य समारोह पर प्रतिबन्ध रहेगा।
7. सभी धार्मिक स्थल/पूजा स्थल जनता के लिए बन्द रहेंगे। सभी धार्मिक सम्मेलन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
8. नाई की दुकान, स्पा, सैलून एवं ब्यूटी पॉर्लर की दुकाने बन्द रहेगीं।
9. साईकल रिक्शा और ऑटो रिक्शा,टैक्सी एवं कैब संचालन प्रतिबन्धित रहेगा।
10. जिले की सीमाओं के अन्दर भीड़ एकत्रित नही हो इस हेतु किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, रैली सार्वजनिक एवं निजी समारोह का आयोजन प्रतिबांधित रहेगा।

District Magistrate
JHUNJHUNU

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनूं (राजस्थान)

Scanned by CamScanner

11. यह प्रतिबन्ध चिकित्सा, सफाई एवं कानून व व्यवस्था के लिये नियुक्त कार्मिकों एवं रोगियो पर लागू नही होगा।

यह आदेश दिनांक 03 मई, 2020 की मध्य रात्रि से दिनांक 17 मई, 2020 की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगा।

इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188,269,270 एवं The Rajasthan Epidemic Diseases Act, 1957, आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 एवं राजस्थान महामारी रोग अध्यादेश, 2020 के प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जा सकेगा।

चूँकि इस आदेश की तामील व्यक्तिशः करना सम्भव नहीं है। इसलिए यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। इस आदेश को जिले के समस्त मुख्य स्थानों पर चस्पा करवाकर एवं स्थानीय समाचार पत्रों व प्रचार प्रसार के माध्यमों से समस्त नागरिकों को अवगत करा दिया जावें।

यह आदेश आज दिनांक 03 मई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी किया गया।

(उमर दीन खान)
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
झुंझुनूं
District Magistrate
JHUNJHUNU

क्रमांकः एफ.16(6)(2)न्याय/2008/937
दिनांकः– 03.05.2020

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैं :–

1. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह एवं न्याय विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग जयपुर।
4. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, जयपुर।
7. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, ______________ राजस्थान राज्य।
8. जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं को भेजकर लेख है कि थानाधिकारी पुलिस थाना समस्त जिला झुन्झुनूं को इसकी सूचना दी जावें तथा आदेश की पालना सुनिश्चित करावें।
9. उपखण्ड मजिस्ट्रेट ________________ (समस्त जिला झुंझुनूं)
10. उप पुलिस अधीक्षक, ____________________ (समस्त जिला झुंझुनूं)
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी, झुन्झुनूं।
12. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, झुन्झुनूं।
13. जिला शिक्षा अधिकारी मा/प्रा., झुन्झुनूं।
14. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट समस्त जिला झुंझुनूं को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश का व्यापक प्रचार प्रसार करवाया जावे।
15. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, झुंझुनूं को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश का व्यापक प्रचार–प्रसार जरिये प्रेस नोट स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से जन साधारण को कराया जावें।
16. आयुक्त, नगरपरिषद, झुंझुनू।
17. अधिशाषी अधिकारी, समस्त जिला झुंझुनू।
18. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त जिला झुंझुनूं को प्रचार प्रसार हेतु।
19. थानाधिकारी पुलिस थाना समस्त जिला, झुन्झुनूं को भेजकर लेख है कि आदेश का व्यापक प्रचार प्रसार किया जावे एवं अक्षरशः पालना सुनिश्चित करवायी जावे।
20. नोटिस बोर्ड कार्यालय ____________________।
21. गार्ड फाईल/निजी सहायक/निर्वाचन शाखा, कलेक्ट्रेट, झुंझुनूं।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनूं (राजस्थान)

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
झुंझुनूं
3/5/2020
District Magistrate
JHUNJHUNU

Scanned by CamScanner